फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नंगा | **विपक्षी : श्री डालु**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 126/21**

जीसीएमएस : 2021/629

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 03.01.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा खेडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 99 पर दर्ज आराजी नम्बर 1405, 1406, 1407 किता 3 कुल रकबा 0.6879 हैक्टेयर, खाता संख्या 89 पर दर्ज आराजी नम्बर 1130, 516, 517, 518, 608, 666 किता 6 कुल रकबा 5.6009 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 362 पर दर्ज आराजी नम्बर 665 रकबा 0.2104 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं। चूंकि मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर बंटवाडा किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जब तक वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा होकर पृथक–पृथक दर्ज नहीं हो जाये तब तक कोई भी सहखातेदार किसी विशेष भू भाग पर निर्माण/मौका परिवर्तन नहीं कर सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मूल वाद में अंतिम डिक्री जारी होने तक उभय पक्षकारान को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा खेडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 99 पर दर्ज आराजी नम्बर 1405, 1406, 1407 किता 3 कुल रकबा 0.6879 हैक्टेयर, खाता संख्या 89 पर दर्ज आराजी नम्बर 1130, 516, 517, 518, 608, 666 किता 6 कुल रकबा 5.6009 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 362 पर दर्ज आराजी नम्बर 665 रकबा 0.2104 हेक्टेयर भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:35 IST
Reason: SelfAttested